

लोक सुनवाई का वृत्त।

राकेश कुमार, पिता: गणेश यादव, ग्राम-बरेर टोला, पोस्ट-बराह, थाना-रानीतालाब, कनपा, जिला-पटना-801112 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत अरवल पुनपुन इकाई-06 (सोनभद्र-04, वंशी-01, वंशी-02) बालू घाट, मौजा-सोनभद्र, वंशी, अंचल-करपी, जिला-अरवल, राज्य बिहार के अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 14.09.2026 को अपराह्न 12:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय करपी परिसर के सभाकक्ष में, करपी, जिला-अरवल के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/3772/2026, dated 09.06.2026 के आलोक में श्री रवि प्रसाद चौहान, अपर समाहर्ता (राजस्व), अरवल (जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दिनांक: 14.09.2026 को अपराह्न 12:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय परिसर के सभाकक्ष में, करपी, जिला-अरवल में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा: हिन्दुस्तान, पटना एवं कौमी तंजीम पटना दिनांक: 24.07.2026 और द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 25.07.2026 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा गयाजी द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। यह बालू खनन पट्टा अरवल जिला अन्तर्गत पुनपुन नदी स्थित अरवल पुनपुन इकाई-06 (सोनभद्र-04, वंशी-01, एवं वंशी-2), मौजा-सोनभद्र एवं वंशी अंचल-करपी, जिला-अरवल में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री राकेश कुमार, पिता-गणेश यादव को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है, इस खनन पट्टा में 7.31 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 1,31,580 घन मीटर बालू का खनन प्रस्तावित है, इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 5 करोड़ 55 लाख है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी द्वारा अरवल जिला अन्तर्गत पुनपुन नदी स्थित अरवल पुनपुन इकाई-06 (सोनभद्र-04, वंशी-01, एवं वंशी-2), मौजा-सोनभद्र एवं वंशी, अंचल-करपी, जिला-अरवल के परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री धमेन्द्र कुमार को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी के प्रतिनिधि श्री धमेन्द्र कुमार के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर समाहर्ता महोदय की अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतिश कुमार के द्वारा इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 73 वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

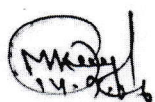
परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत् है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री शशिभूषण कुमार, पिता-विष्णुदेव राय ग्राम-सोनभद्र, प्रखंड-करपी, जिला-अरवल।	इनके द्वारा ग्रामीणों के रोजगार के संबंध में संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री शशिभूषण कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
2.	श्री मुकेश कुमार, पिता-डा० बाबूचन्द्र सिंह, ग्राम-सोनभद्र, प्रखंड-करपी, जिला-अरवल।	इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि बालू घाट में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए पेयजल एवं ठहरने की व्यवस्था की जायेगी या नहीं। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बतलाया गया कि बालू घाट में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए पेयजल हेतु चापाकल एवं पानी के टैंकर की व्यवस्था की जायेगी एवं मजदूरों के ठहरने हेतु शेड का निर्माण किया जायेगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री मुकेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।

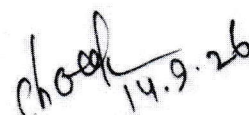
3.	श्री राजा कुमार, पिता-नागेश्वर कुमार ग्राम-वंशी, अंचल-सूर्यपुर वंशी, जिला-अरवल।	इनके द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि बालू उत्खनन का कार्य कितने मीटर की गहराई तक किया जायेगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य 3 मीटर की गहराई तक ही किया जायेगा। यदि खनन के दौरान जल स्रोत या भूजल स्तर दिखाई देगा तो उसी दौरान बालू उत्खनन का कार्य रोक दिया जायेगा, ताकि नदी के प्राकृतिक जल और परिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री राजा कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
----	---	---

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन के उपरांत गीले बालू को Secondary Storage Facility में एकत्रित करने के पश्चात् ही बालू का उठाव एवं परिवहन का कार्य किया जाये। वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल का छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर गहराई तक ही करेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाये।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट का प्रस्तावित खनन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।



क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गयाजी



अपर समाहर्ता (राजस्व),
अरवल

उपस्थिति सूची

राकेश कुमार, पिता: गणेश यादव, ग्राम-बरेर टोला, पोस्ट-बराह, थाना-रानीतालाब, कनपा, जिला-पटना-801112 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत अरवल पुनपुन इकाई-06 (सोनभद्र-04, वंशी-01, वंशी-02) बालू घाट, मौजा-सोनभद्र, वंशी, अंचल-करपी, जिला-अरवल (बिहार) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 14.09.2026 को 12:30 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, करपी, जिला-अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	रवि प्रसाद चौहान	Adm, Arwal	Chowhan 14/9/26
2.	मोहम्मद कुमार खैर	शेखीय फकीरपुरी लि 10 प्र० डि. भक्ति गयाली	MK 14.9.26
3.	Abhilasha Gupta	Mines Inspector Arwal	AbhiGupta 14.9.26
4.	नीतीश कुमार	Aegis Env. Res. Pvt. Ltd. (Env. consultant)	Nitin K. 14.9.26
5.	Authorised Dhamendra K. (Project Representative)	Authorised, Rakesh Kumar S/O Ganesh Yadav	Dhamendra K.
6.	अमन कुमार मस्तुरशील कुमार	ग्राम - वंशी	अमन कुमार
7.	_____	_____	_____
8.	मुकेश कुमार पिता - डा० वावू चंद्र सिंह	ग्राम - सोनभद्र	mukesh O
9.	अक्षय कुमार पिता - देवकुमार प्रसाद	ग्राम रजौवमहू	Akshay/Kumar

10.	नाम - शिवाजी गुणज कुं पिता - विष्णु देव शर्मा	ग्राम - वंशी	Shirajy
11.	नाम सुधीर कुं पिता स्वः महिन्द्र पांझ	ग्राम वंशी	सुधीर
12.	Shivkumar / Manohar 80 / Lalbhakar / Yashwanth	Vill - Vanshi	Shivkumar / Manohar
13.	पिता नाम रमेश चंद नाम वंशी		रमेश चंद
14.	पिता नाम कुं पिता मदन मदन	ग्राम : सोन मदन	पिता नाम कुं
15.	रवि कुमार श्री विनोद यादव	ग्राम = सोन मदन	रवि कुमार
16.	राजा कुमार नागेश्वर कुमार	ग्राम - वंशी	राजा कुमार
17.	मुकेश कुमार विरेंद्र सिंह	ग्राम - लेन मदन	मुकेश कुमार
18.	Manohar / Bakram	ग्राम वंशी	Manohar /
19.	SHIV KUMAR Ramu Paswan	ग्राम वंशी	SHIV KUMAR
20.	विरेंद्र चौधरी पिता - रामदास चौधरी	ग्राम - सोन मदन	Birendra Chaudhary

21.	मुनीरुल्लाह पिता गोपलदास	लोन मर्द	मुनीरुल्लाह
22.	मल्लिकार्जुन 120mm Sri Pawarth Nagaraj मल्लिकार्जुन	लोन मर्द	<u>12</u> 14/9/12
23.	लालू यादव पिता - रामचंद्र यादव	लोन मर्द	लालू यादव
24.	अजीत कुमार अवेच्छा साव	बन्सी	अजीत कुमार
25.	रमेश कुमार पिता उमेश चंद	बन्सी	रमेश कुमार
26.	रमेश कुमार पिता - एकादशराव	लोन मर्द	Ramesh.
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			